उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-84/2015/281(1)/41-2015-40 यो0/13 टी0सी0

लखनऊ: दिनांक-31 मार्च,2015

<u>शुद्धि-ज्ञाप</u>

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद मथुरा में ऐतिहासिक जलकुण्डों के जीर्णोद्धार हेतु शासनादेश संख्या-80/2015/281/41-2015-40यो0/13 टी0सी0] दिनॉक 30-03-2015 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश के प्रस्तर-2 में त्रुटिवश वर्ष 2013-14 में स्वीकृत जलकुण्डों का नाम अंकित हो गया है। उक्त शासनादेश दिनॉक 30-03-2015 में उल्लिखित जलकुण्डों के नाम के स्थान पर निम्न जलकुण्डों के नाम पढे जायेगे।

1. रत्ना सागर कुण्ड, कोसी, 2. चन्द्रावली कुण्ड, रिथोरा, 3. संगम कुण्ड, खैरा, 4. ब्रम्हा कुणड, गोवर्धन, 5. मालाधारी कृष्णा कुण्ड, नंदगॉव, 6. कसिर सागर कुण्ड, बलेदव, 7. कृष्णा कुण्ड, लोहवन, 8. गन्धर्व कुण्ड, गनेसरा, 9. मोतीझील कुण्ड, वृन्दावन, 10. बलुलावन कुण्ड, बाती।

शासनादेश संख्या-80/2015/281/41-2015-40यो0/13 टी0सी0] दिनॉक 30-03-2015 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(श्याम मोहन तिवारी)

अनुसचिव

<u>संख्या- /2015/281(2)/41-2015 तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल) आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्य निष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
7- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)

अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in